न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2016

अपीलांट

1. तुलछा पुत्र मल्ला जी
2. केसाराम पुत्र धीराजी
3. पाबूराम पुत्र संग्राम जी
4. दुर्गाराम पुत्र भोलाराम जी
5. अबाराम पुत्र मेगाराम जी जातिगण सीरवी निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मांगूसिंह पुत्र भंवरसिह उर्फ जब्बरसिंहजी
2. श्यामसिंह पुत्र कल्याणसिंहजी
3. श्रवणसिंह पुत्र कल्याणसिंहजी
4. गोपालकंवर पत्नी कल्याणसिंहजी
5. हनुमानसिंह पुत्र मेगसिंहजी जातिगण राजपूत निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण पाली।
6. माडकी पत्नी मल्लाजी
7. चन्दणाई पत्नी धीराजी
8. हुकमा पुत्र रावतजी
9. काना पुत्र रावतजी
10. अणदाराम पुत्र शूरारामजी
11. नारायण पुत्र शूरारामजी
12. हींगली बेवा शूरारामजी
13. लाबू पुत्र घीसाजी
14. गुणाराम पुत्र घीसाजी
15. ढगलाराम पुत्र घीसा जी
16. चन्दाराम पुत्र घीसाजी
17. बीरमराम पुत्र घीसाजी
18. हेमाराम पुत्र घीसाजी
19. मालाराम पुत्र पूनारामजी
20. पुखाराम पु, पूनारामजी
21. भानाराम पुत्र संग्रामजी
22. किशनाराम पुत्र संग्रामजी
23. जसाराम पुत्र संग्रामजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

24.सुखाराम पुत्र पेमारामजी
25.भेरा पुत्र ओगडजी
26.राजू पुत्र ओगडजी
27.ढगलाई बेवा ओगडजी
28.धर्माराम पुत्र भगारामजी
29.चेनाराम पुत्र भगारामजी
30.सुकडी बेवा भगारामजी
31.दुर्गाराम पुत्र भोलारामजी
32.मदनलाल पुत्र भोलारामजी
33.सुवटी बेवा भोलारामजी
34.छगनाराम पुत्र खुमारामजी
35.गोपूराम पुत्र खुमारामजी
36.दुदाराम पुत्र मेगारामजी
37.मंगला पुत्र नेतीराम जातिगण सीरवी निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली।
38.तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
श्री नौरतन चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 18, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36
श्री अर्जुन सिंह राठौड, विद्वान अभिभाषक शेष रेस्पोडेन्टगण की ओर से
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 38 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 26.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। जो कि विधिसम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट तुलछा के पिता मल्लाराम व अपीलांट केसाराम के पिता धीरा तथा अन्य अपीलांटगण के नाम पेशी दिनांक 27.01.2014 बाबत नोटिस जारी किये गये। जो विधि अनुसार तामिल नहीं करवाये गये। अपीलांट के पिता मलाजी फौत होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 द्वारा अपीलांट तुलछा व उसकी माता रेस्पोडेन्ट माडकी को पक्षकार बनाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2015 को प्रस्तुत किया। उसके पश्चात अपीलांट केसाराम के पिता धीराजी के फौत होने पर अपीलांट व उसकी माता चन्दणाई को पक्षकार बनाने हेतु दिनांक 24.11.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायलय द्वारा स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक एवं सम्मन तलबाना के आदेश पारित किये, एवं तारीख पेशी दिनांक 23.12.2015 को अपीलांटगण के नोटिस तामिल मानकर अपीलांटगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त अपीलांट पाबूराम, अबाराम व दुर्गाराम को जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा द्वारा "उनके मकान पर नोटिस चस्पा किया गया" की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण के नाम के नोटिस अपीलांटगण व उनके पारिवार के किसी व्यस्क सदस्य को नहीं धामे गये व न ही किसी ने लेने से इंकार किया। इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस पर किसी अतिरिक्त स्वंतत्र गवाह के दस्तखत भी नहीं करवाये गये, न ही उन गवाहो के पिता का नाम, जाति, सकूनत आदि कुछ भी तामिली रिपोर्ट में दर्ज है। इसके अलावा तामील कुनिन्दा ने न्यायालय की अनुमति लिये बगैर ही नोटिस चस्पा कर दिया। अपीलांटगण की विधि एवं नियमानुसार तामिल नहीं होने से व अपीलांटगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटगण की विधिनुसार तामिल नहीं होने के कारण अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब, साक्ष्य, सबूत नहीं प्रस्तुत कर पाये। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश परित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये– (1) A.I.R

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1976 Rajasthan page 82 (2) 2014 (4) डी.एन.जे (राज) पेज नंबर 1587 (3) 2004 दिल्ली पेज नंबर 405 (4) A.I.R (33) 1946 Sind page 20 (4) A.I.R 1977 Orrisa page 20

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251(क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। जो अपीलांटगण के मकान पर चस्पा की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण के परिवार को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध मे ज्ञान हो चुका था। किन्तु अपीलांटगण जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर "उनके मकान पर नोटिस चस्पा किया गया" की रिर्पोट प्राप्त हुई है।" उक्त नोटिस पर दो गवाहो के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण के परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा उक्त नोटिस को लेने से इंकार करने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इस संबध में 2014 (4) डी.एन.जे (राज) पेज नंबर 1587 में यह प्रतिपादित किया है कि " सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151–एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना–प्रार्थना पत्र खारिज किया–अपीलीय न्यायालय ने आदेश अपास्त किया–तामील कुनिन्दा ने दो गवाहो के पतो का उल्लेख नहीं किया न परिस्थितियों का उल्लेख किया जिनके अधीन सम्मन चस्पा किया–विचारण न्यायालय ने तो तामील कुनिन्दा को न कथित तामील के दो गवाहो को परिक्षित किया–रेस्पोडेन्ट पर सम्मन तामील नहीं हुआ–निर्णीत, आलोच्य आदेश में अवैधता या प्रतिकूलता नहीं है।" इसी प्रकार 2004 दिल्ली पेज नंबर 405 रविदत बनाम चुन्नीलाल मे यह प्रतिपादित किया है कि "

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Civil p.c. 5 of 1908, O. 5 Rr. 14, 15 - Service of summons - Suit for posession- process server went only on one occasion to house of defendant- He did not go again to find out whether defendant ould be available at some other time- Though service could be effected by affiZation summons was not affixed- Refusal of wife of defendant to accept summons- would not amount to deemed service, as service of summons was not property effected on defendant. उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण जारी नोटिस पर दो गवाहो के हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही अपीलांटगण के परिवार के किसी सदस्य द्वारा नोटिस लेने से इंकार करने बाबत कोई रिर्पोट है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को जारी नोटिस विधिवत रूप से तामिल नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिसो को तामिल मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 को अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर 06 माह में नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली